न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा
(म०प्र०)

R-1405-I/12

कैलाश पिता तेजमती जायसवाल निवासी पोड़ी तह० चितरंगी जिला सिंगरौली (म०प्र०) ----आवेदक /निगरानीकर्ता,

बनाम

शिवभूति पिता तेजमती जायसवाल निवासी ग्राम पोड़ी तह० चितरंगी जिला सिंगरौली म०प्र०, ---अना०/गैरीनगरानीकर्ता,

अधिवक्ता श्री आर.पी. पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत/ दिनांक 17.4.2012

निगरानी आदेश विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली म०प्र० के प्र०क्र०-107/निग०/2011-2012, आदेश दि०-11/4/12

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू०रा० संहिता 1959ई०,

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

1- यह कि निगरानीकर्ता विचारण न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार तह० चितरंगी जिला सीधी म०प्र० में इस आशय का आवेदन पत्र कि पुराना आ०नं०- 325/3 रकबा 4.047 हे० जमीन स्थित ग्राम देवगांव पटवारी हल्का पोड़ी तह० चितरंगी जिला सीधी में निर्मित नये खसरा नम्बरों 648 रकबा 0.22 हे० व 650/897 ,रकबा 0.05 हे० जो निगरानी कर्ता को पिता व तीनों भाईयों के आपसी हिस्साबांट में पुस्तैनी रूप से प्राप्त हुयी थी, जिस पर निगरानी कर्ता काबिज होकर कास्त करता था, उक्त भूमियों का पट्टा निगरानी कर्ता के नाम सहायक बंदोबस्त अधिकारी चितरंगी वृत्त जिला सीधी म०प्र० के आदेश से हुआ था, बंदोबस्त के दौरान हुआ था, पुराना आ०नं०-325/3 रकबा 4.047 हे० में नये निर्मित खण्डाक पुराना नम्बरो में बंदोबस्त के दौरान नक्शे व खसरे में त्रुटि हो गयी थी, जिसके नक्शा व खसरे में सुधार के लिये निगरानीकर्ता ने विचारण न्यायालय में धारा

क्र:

XXIX(a)-BR(H)-11

(50)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-1405-पीबीआर/12 जिला - सिंगरौली

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-8-19	आवेदक की ओर से यह निगरानी [illegible] सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 109/निग./11-12 में पारित आदेश दिनांक 11.4.12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18-10-19 को आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	